न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 02/2014

RCMS Case No. 2014/00246

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
झूमीदेवी पत्नि हजारी रावत निवासी सारण तहसील मारवाड जंक्शन		1. आसूसिंह पुत्र मानसिंह 2. भंवरसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी सारण तहसील मा0जंक्शन 3. ग्राम पंचायत सारण जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/2/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या 03/1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 18.08.1983 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 10.08.1984 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सारण के खसरा नम्बर 823 गै0मु0 आबादी में से 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया है, जो प्रार्थी के मकान के आगे रास्ते के रूप में प्रयुक्त होती थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, उसके उत्तर में प्रार्थी का मकान बताया गया है, जबकि जिस स्थान पर पट्टा जारी किया गया है, इस पर प्रार्थी का मकान स्थित है व रास्ता भी है, किन्तु ग्राम पंचायत ने जानबूझकर मकान व रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आदेश जारी करने से पूर्व मिसल कायम कर निरीक्षण फीस, नक्शा फीस प्राप्त नहीं की, विधि अनुसार आदेशिकाएं नहीं लिखी गई है। पट्टा देने योग्य भूमि उपलब्ध है अथवा नही ? इस बिन्दु पर किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया तथा न ही प्रार्थीया को किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर दिया गया। वांछित भूमि पर अप्रार्थीगण के कब्जे के प्रमाण स्वरूप किसी भी गवाह के बयान कलमबद्ध नहीं किए गए एवं न ही इससे पूर्व अस्थाई पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। अप्रार्थीगण का पुराना मकान स्थित नहीं होते हुए भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

अति० जिला कलक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मिसल कायम करते हुए प्रक्रिया की पालना कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इस कारण निगरानी पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। जिसके कारण आपसी बातचीत से रकम तय कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका पर जाकर मोके का नक्शा तैयार किया गया है तथा इसके पश्चात वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का रहवास है, इसके सबूत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किए है। जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रकरण में किसी प्रकार का वादकरण उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रार्थी ने पट्टा जारी होने के 35 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या 03/1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 18.08.1983 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 10.08.1984 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकर्ड उपलब्ध करवाया गया है, उसके संलग्न मिसल संख्या 2/1983–84 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 आसुसिंह पुत्र मानसिंह द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कब्जासुदा पुश्तैनी रहवास के मकान का पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 18.08.1983 को आदेश पारित करते हुए आपसी बातचीत से 201/– रूपये कीमत तय की जाकर राशि जमा होने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में एक ही प्रस्ताव के जरिये की गई।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान

अति० जिला कलेक्टर, पाली

वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, सारण द्वारा मिसल संख्या 03/1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 18.08.1983 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 10.08.1984 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सारण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिवत जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली